



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

चैत्र 8, शनीवार शाके 1942- मार्च 28, 2020

*Chaitra 8, Saturday, Saka 1942- March 28, 2020*

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये  
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 28, 2020**

**एस.ओ.196:-**विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.03.2020 की निरंतरता में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रदेश में निजी क्षेत्र (समस्त सी एण्ड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता एवं रिटेल विक्रेता) में उपलब्ध निम्न दवाओं (घटक युक्त दवाओं) को व्यापक लोक हित में तुरंत प्रभाव से एतद्वारा अधिगृहित करती है:-

- 1 Hydroxychloroquine 300 mg Tab
- 2 Oseltamivir 30mg cap and 45 mg cap

[ क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020 ]

रोहित कुमार सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव ।